

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2020/1/7972

दिनांक : 10/12/2020

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश स्था./2020/1/7790 दिनांक 08.12.2020 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या : 06/विधि/2020 दिनांक 24.11.2020 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25.12.2020 से 31.12.2020 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में इस न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड में जमानत एवं निरोध अवधि की अभीवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए खुले रहने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम न्यायालय	अवधि
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	दिनांक 25.12.2020 व 26.12.2020
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	दिनांक 27.12.2020 व 28.12.2020
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	दिनांक 29.12.2020
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	दिनांक 30.12.2020
5	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	दिनांक 31.12.2020

अन्य सभी न्यायालय उक्त शीतकालीन अवकाश में बंद रहेंगे। उक्त न्यायालयों से संबंधित आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु केन्द्रीय नजारात शाखा, प्रतिलिपि शाखा व अभिलेखागार शाखा राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक शीतकालीन अवकाश में उपरोक्तानुसार खुले रहेंगे। इन शाखाओं के कर्मचारीगण उक्त शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे शीतकालीन अवकाश अवधि में रजिस्ट्रारों का वार्षिक गोश्वारा तोड़ें, निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु तैयार करें तथा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मानचित्र आदि का कार्य पूर्ण कर लें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
टोंक (राज.)

दिनांक : 10/12/2020

क्रमांक : स्था./2020/1/7973-8012
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आदेश पत्रावली
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक
3. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, टोंक
4. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सा.द.प्र.) एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक/मालपुरा
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
9. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
10. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/उनियारा/निवाई
11. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
12. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
14. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली
15. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार/प्रतिलिपि/नजारात शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
16. जिला कलेक्टर, टोंक
17. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक
18. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक/मालपुरा
19. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह/दूनी
20. कोर्ट, मैनेजर/रीडर/वरिष्ठ मुंसरिम जिला न्यायालय, टोंक
21. सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक की वेबसाईट पर अपलोड करें।
22. संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.)